ज्वाइंट कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016

- राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी ने 7 जनवरी, 2019 को नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। बिल नागरिकता एक्ट, 1955 में संशोधन करता है। इस एक्ट में उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट किया गया है जिनके आधार पर नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण (नैचुरलाइजेशन) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक्ट ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर (ओसीआई) (भारतीय कार्डधारकों वाले विदेशी नागरिकों) के पंजीकरण को भी रेगुलेट करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :

- **अवैध प्रवासियों की परिभाषा**: एक्ट अवैध प्रवासियों द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल करने को प्रतिबंधित करता है। यह कहता है कि अवैध प्रवासी वह विदेशी है जोकि (i) वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है, या (ii) अनुमत समय (परमिटेड टाइम) के बाद भी भारत में रुका रहता है। बिल एक्ट में संशोधन करता है और कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति समूहों के साथ अवैध प्रवासी के समान व्यवहार नहीं किया जाएगाः (i) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (अल्पसंख्यक समुदाय)। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920 और विदेशी एक्ट, 1946 के प्रावधानों से छूट भी दी जाएगी। 1920 के एक्ट में विदेशियों के पास पासपोर्ट होने का निर्देश दिया गया है जबकि 1946 का एक्ट भारत में विदेशियों के प्रवेश और वापसी को रेगुलेट करता है।

- कुछ स्टेकहोल्डर्स ने यह चिंता जताई थी कि बिल में छह धार्मिक अल्पसंख्यकों के समावेश से संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन हो सकता है। इस संबंध में कमिटी ने कहा कि बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यह कानून के आधार पर समुदायों के बीच वैध भेद करता है। इसके अतिरिक्त बिल अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी नहीं करता, क्योंकि इससे देश में अपने धर्म का पालन करने के अधिकार पर कोई असर नहीं हो रहा।

- **असम संधि से टकराव**: कमिटी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन असम संधि के प्रतिकूल हो सकता है। असमी लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा के लिए असम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि में कहा गया था कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आने वाले विदेशों की पहचान की जाएगी, और उन्हें देश से निकाला जाएगा। कमिटी ने कहा कि संधि के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मामले भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि बिल के लागू होने के बाद उन्हें वैध प्रवासी माना जाएगा। इस प्रकार कमिटी ने सुझाव दिया कि एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ संधि के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही को वापस ले लिया जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग देशीयकरण के आवेदन हेतु पात्र होने चाहिए।

- **ओसीआईज़ के पंजीकरण को रद्द करना:** एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अगर ओसीआई ने धोखाधड़ी से पंजीकरण कराया है, या (ii) पंजीकरण से पांच वर्ष के बीच में, उसे दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो। बिल

विनायक कृष्णनन
vinayak@prsindia.org

9 जनवरी, 2019

पंजीकरण को रद्द करने का एक और आधार प्रदान करता है। वह यह कि अगर ओसीआई ने देश में लागू किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया हो।

- कमिटी ने कहा कि इस आधार का दायरा सीमित किया जाना चाहिए, चूंकि इससे कानून के मामूली उल्लंघन के बाद भी किसी ओसीआई कार्डहोल्डर को परेशान किया जा सकता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस प्रावधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उल्लंघनों के बाद ही किसी ओसीआई का पंजीकरण रद्द हो। इसके अतिरिक्त कमिटी ने यह सुझाव दिया कि ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश देने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।
- **असहमति भरे नोट्स**: नौ संसद सदस्यों ने असहमति भरे नोट्स सौंपे। सुष्मिता देव, अधीर रंजन चौधरी, भुवनेश्वर कालिता और प्रदीप भट्टाचार्य (भुवनेश्वर कालिता और प्रदीप भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से असहमति भरे नोट्स सौंपे) ने कहा कि बिल संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिल धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों के साथ भेदभाव करने का प्रयास करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।